न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिरोही राजस्थान
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार, आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 76/2018

प्रार्थीगण

1– हीरालाल पुत्र मूलारामजी
2– चुन्नीलाल पुत्र मूलारामजी
3– जमनभाई पुत्र मूलारामजी
4– भीमा पुत्र राजाजी
5– मेगा पुत्र श्री राजाजी
6– सोपू पत्नि श्री कानाजी
7– शंकरलाल पुत्र श्री कानाजी
8– छगनलाल पुत्र श्री कानाजी
सभी आयु व्यस्क पेशा खेती जाति प्रजापति निवासी वलदरा तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1– तारा पुत्र श्री मालाजी
जाति मेघवाल आयु 71 वर्ष जाति मेघवाल पेशा खेती निवासी वलदरा निवासी वलदरा तहसील व जिला सिरोही
2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– श्री ऋषि माथुर वकील प्राथीगण की ओर से
2– तहसीलदार, सिरोही अप्रार्थी सं.2 स्टेट की ओर से

रा.प्रा.अ.धारा 251(क) की उपधारा (1)राज.अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय दिनांक 29–7–2019

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क)की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 तक के विरूद्व वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 11–7–2018 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम वलदरा पटवार हल्का सरतरा तहसील सिरोही जिला सिरोही मे खाता संख्या 233 खसरा संख्या 370 क्षैत्रफल 0.3400 हैक्टेयर आई हुई है। पहले उक्त कृषि भूमि पर रराजाजी काश्त कररते, राजाजी के देहान्त के बाद उक्त भूमि पर उनके चारो पुत्र क्रमशः मुलारामजी ,कानारामजी ,भीमाजी अऔर मेगाजी काबिज काश्त हुये है मुलारामजी द्वारा बक्षीश करने से उनके स्थान पपर उनके वारिसान प्रार्थी संख्या 1 ता 3 काबिज है इसी प्रकार से कानारामजी का भी देहान्त हो गया है प्रार्थी संख्या 6 ता 8 कानारामजी के वरारिसान होकर उक्त भूमि पर काबिज है इस प्रकार उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीगण राजाजी के समय से उक्त भूमि पर पिछले कई वर्षो से लगातार काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण के लिये उनके खातेदारी की कृषि भूमि मे आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड मे कोई रेकर्डेड रास्ता अंकित नही है जिससे प्रार्थीगण उनके खातेदारी की कृषि भूमि मे खसरा नंबर 387 ,367,की भूमि मे से गुजरने वाले कदीमी रास्ते से (संलग्न नक्शे मे वर्णित "ए" से "बी" रास्ते से) पिछले 45 वर्षो से भी अधिक समय से आतते जाते रहे है और उक्त "ए" से "बी" रास्ते का उपयोग कई वर्षो से करते आ रहे है और प्रार्थीगण से पहले उक्त "ए" से "बी" कदीमी रास्ते

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

Continue Page-2

का उपभोग एवं आवागमन उनके पूर्वज करते रहे है उक्त लेकिन राजस्व रेकर्ड मे उक्त भाग रास्ते के रूप मे अंकित नही होने से प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि पर आने जाने फसल बोने ,जोतने ,मवेशी,ट्रेक्टर,बैलगाडी लाने ले जाने हेतु कई बार समस्याओं का सामना करना पडता है, प्रार्थीगण मध्यम वर्ग के काश्तकार व्यक्ति है जिनके पूरे परिवार का भरण पोषण उक्त कृषि भूमि की आय से होता है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु रास्ते की सख्त आवश्यकता है।लेकिन कोई रास्ता राजस्व नक्शे मे अंकित नही है लेकिन प्रार्थीगण खसरा संख्या 387 ,367 की भूमि से आवागमन करते है लेकिन उक्त भाग राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के खातेदारी मे अंकित होने से कई बार परेशानीयों का सामना भी करना पडता है। उक्त रास्ता कायम किये जाने से अप्रार्थीगण की कृषि भूमि को भी कोई नुकसान नही होगा,अपप्रार्थीगण की आराजी यथावत रूप से रहेगी, इसके अलावा भी प्रार्थीगण के उक्त भूमि पर आने जाने के लिये रास्ते का और कोई विकल्प भी नही है। अप्रार्थीगण कई बार प्रार्थीगण को उसकी आराजी मे आने जाने मे रूकावट पैदा करते है। रास्ते के अभाव मे प्रार्थीगण कई बार अपनी आराजी पर नही पहुँच पाते है जिससे उनकी फसले जल जाती है और पशुओं को भी कई बार पानी चारे के अभाव मे राते गुजारनी पडती है इसी कारण प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर आने जाने ,ट्रेक्कटर ,बैलगाडी लाने ले जाने हेतु रास्ता चाहिये ।अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी और कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु उक्त रास्ता अप्रार्थीगण खसरा संख्या 387 ,367 की कृषि भूमि मेसे नक्शे मे वर्णित "ए"से "बी" वाले हिस्से पर 12 फिट चौडा रास्ता मौके के अनुसार लम्बे रास्ते को नियमानुसार राजस्व रेकर्ड मे रास्ता अंकित किये जाने के आदेश पारित करना फरमावें । प्रार्थीगण उक्त रास्ते के लिये राज्य सरकार के आदेशानुसार शुल्क अदा करने हेतु तैयार है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे प्रार्थनापत्र व उसके सर्मथन मे अन्य प्रार्थीगण हीरालाल चुन्नीलाल जमनभाई भीमा मेगा सोपू शंकरलाल छगनलाल तथा खाता संख्या 197 की जमाबंदी संवत 2066 से 2069,खसरा संख्या 387 की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 व खसरा संख्या 367 की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 तथा नक्शा ट्रेस की प्रतियोंका गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 11–7–2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । विचारण प्रार्थनापत्र की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 5–9–2018 को अप्रार्थी संख्या 1 का नोटिस तामिल दिनांक 23–7–2019 को होने के बावजूद सुनवाई के दौरान निरन्तर हाजिर नही होने व आज भी न्यायालय मे सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 हाजिर नही है जिस पर न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को हाजिर होने हेतु बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद स्वंय या इनके वकील कोई भी न्यायालय समय तक हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश दिये गये तथा पत्रावली वास्ते अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट के जवाब हेतु दिनांक 22–10–2018 को न्यायालय मे रखी गई ।

इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 22–10–2018 को अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट की ओर से तहसीलदार,सिरोही ने जरिये पत्र कमांक 725 दिनांक 11–10–2018 के द्वारा जवाब पेश किया जिसे शा.मि. किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

Continue Page-3

अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार,सिरोही ने अपने उक्त जवाब मे कथन किया कि यह बात सत्य है कि मौजा वलदरा के खसरा नंबर 370 रकबा 01.34 हैक्टेयर भूमि हीरालाल प्रजापति चुन्नीलाल प्रजापति,जमनभाई प्रजापति पि0 मूलाराम 1/4 भीमा,मेगा पि0 राजा 1/2 सोपू पत्नि काना ,शंकरलाल ,छगनलाल पि0 काना 1/4 कौम कुम्हार सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है एवं खसरा नंबर 387 रकबा 01.62 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी तारा पुत्र माला जाति मेगवाल निवासी वलदरा एवं खसरा नंबर 367 रकबा 0.82 हैक्टेयर भूमि किस्म गै.मु. मगरा सिवाय चक बिलानाम भूमि है। यह बात भी सही है कि प्रार्थीगण के लिये उनके खातेदारी की कृषि भूमि मे आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड मे कोई रेकर्डेड रास्ता अंकित नही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 से 6 के तथ्यों को प्रार्थीगण सिद्व करना बताया है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 7 के सम्बन्ध मे जवाब मे बताया कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 387 रकबा 01.62 हैक्टेयर भूमि मेसे नक्शे मे वर्णित "ए"से "बी" वाले हिस्से पर 4 मीटर×200 मीटर =800 वर्गमीटर एवं खसरा संख्या 367 रकबा 0.82 हैक्टेयर भूमि मेसे 4 मीटर×63 मीटर =252 वर्गमीटर क्षैत्रफल भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हेतु प्रस्तावित करना चाहता है। प्रार्थनापत्र के शेष पद संख्या 8 से 10 तक न्यायालय से सम्बन्धित बताया है।

विचारण प्रकरण की पत्रावली वास्ते प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट पर वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार की बहस हेतु दिनांक 29–7–2018 को न्यायालय मे रखा गया । जिस पर वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार ने न्यायालय मे हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थनापत्र अ0धा0 251(क) आर.टी.एक्ट पर वकील प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट तहसीलदार,सिरोही की अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया । विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व जवाब स्टेट तहसीलदार,सिरोही व संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबंदी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2,नक्शा ट्रेस,मौका फर्द पटवारी हल्का सरतरा का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया गया कि प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा पूर्व मे ही दिनांक 5–9–2018 को दिये जा चुके है। प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि मे जाने के लिये रेकर्ड मे रास्ता दर्ज नही है इस कारण नियमानुसार राशि अदा किये जाने पर प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि मेसे होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया है। अतः प्रार्थीगण को खातेदारी आराजी मे होकर आने जाने के लिये मवेशी,ट्रेक्टर,बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिये आत्यांतिक आवश्यकता होने से प्रार्थीगण द्वारा मांगी उक्त जगह से रास्ता दिया जाने के स्थान पर तहसीलदार,सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाकर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्टेट तहसीलदार,सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः मौजा वलदरा पटवार हल्का सरतरा तहसील सिरोही जिला सिरोही के भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार,सिरोही) के जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

Continue Page-4

संख्या 01 राजस्थान सरकार के खसरा नंबर 367 रकबा 0.82 हैक्टेयर मेसे 4 मीटर×63 मीटर =252 वर्गमीटर क्षैत्रफल तथा अप्रार्थी संख्या एक तारा पुत्र माला कौम मेगवाल सा.देह खाततेदार के खसरा नंबर 387 क्षैत्रफल 1.6200 हैक्टेयर मेसे नक्शे मे वर्णित "ए"से "बी" वाले हिस्से पर 4 मीटर ×200 मीटर =800 वर्गमीटर उक्त भूमि रास्ते के रूप मे सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की जाती है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की किमत प्रार्थीगण द्वारा खातेदार अप्रार्थी स्टेट भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार,सिरोही को नियमानुसार राशि अदा किये जाने पर रास्ता सिवाय चक मेसे दिया जाना उचित है। अतः उक्तानुसार नियमानुसार प्रतिकर की राशि प्रार्थीगण द्वारा खजाने राज जमा कराना होगा । इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 व 251(क) के तहत राजस्थान सरकार के श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग,राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प03(52) राज–6/4 दिनांक 14–6–2013 बाबत् राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के संबंध मे दिये गये प्रावधानों अनुसार उक्त रास्ते की स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार,सिरोही को आदेश दिये जातेहैः–

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनाओ को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

प्रार्थीगण द्वारा उक्तानुसार रास्ते की भूमि की किमत अवधारित की जाकर तहसीलदार,सिरोही द्वारा प्रस्तावित रास्ता की नियमानुसार किमत अवधारित कर किमत की राशि तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने व रास्ते के लिये प्रस्तावित कृषि भूमि के खातेदार अप्रार्थी सं. 1 श्री तारा पुत्र श्री मालाजी जाति मेघवाल निवासी वलदरा तहसील व जिला सिरोही खसरा नंबर 387 क्षैत्रफल 1.6200 हैक्टेयर मेसे नक्शे मे वर्णित "ए"से "बी" वाले हिस्से पर 4 मीटर ×200 मीटर =800 वर्गमीटर तथा अप्रार्थी संख्या 2 खातेदार भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार,सिरोही) खाता संख्या 01 राजस्थान सरकार के खसरा नंबर 367 रकबा 0.82 हैक्टेयर मेसे 4मीटर×63 मीटर =252 वर्गमीटर क्षैत्रफल अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने पर तहसीलदार,सिरोही को नक्शा मे रास्ता लाल स्याही से नक्शा ट्रेस मे अंकित है उक्तानुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि कम कर राजस्व रेकर्ड मे किस्म गैरमुमकिन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 29–7–2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 29–7–2019 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही